रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 884] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2015/वैशाख 10, 1937
No. 884] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2015 /VAISAKHA 10, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2015

का.आ. 1139(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के उपनियम (1) के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) और धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 13 दिसंबर, 2004 में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1365(अ) तारीख 13 दिसंबर, 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

(2) मूल अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 5 और 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

क्रम सं.	पुर्जे/संघटक/समंजन	मानक	प्रारंभ/वैधता की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
"5.	(क) स्टेयरिंग संघात अपेक्षाएं	इसमें विनिर्दिष्ट यानों के लिए, समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-11939 : 1996	13 दिसंबर, 2004 और 5(ख) के कार्यान्वयन की तारीखों तक विधिमान्य

	(ख) आमने-सामने की टक्कर में किसी यान की स्टेयरिंग क्रियाविधि के व्यवहार की अपेक्षाएं	इसमें विनिर्दिष्ट यानों के लिए, समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-096/2008	नए माडल – 1 अक्तूबर, 2017 । सभी माडल 1 अक्तूबर, 2019 ।
	(ग) किसी मोड पर सम्मुख टक्कर की घटना में अधिभोक्ताओं की सुरक्षा	इसमें विनिर्दिष्ट यानों के लिए, समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-098/2008	नए माडल – 1 अक्तूबर, 2017 । सभी माडल 1 अक्तूबर, 2019 ।
6.	(क) सभी यात्री कारों के लिए साइड डोर संघात	समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-12009 : 1995	13 दिसंबर, 2004 और 6(ख) के कार्यान्वयन की तारीखों तक विधिमान्य
	(ख) किसी पार्श्विक टक्कर की घटना में अधिभोक्ताओं की सुरक्षा के संबंध में यान का अनुमोदन	इसमें विनिर्दिष्ट यानों के लिए, समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-099/2008	नए माडल – 1 अक्तूबर, 2017 । सभी माडल 1 अक्तूबर, 2018 ।
	(ग) किसी मोटरयान के साथ किसी टक्कर की दशा में पैदल यात्रियों और अन्य असुरक्षित सड़क उपयोक्ताओं के संरक्षण के संबंध में यानों का अनुमोदन	इसमें विनिर्दिष्ट यानों के लिए, समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-100/2010	नए माडल – 1 अक्तूबर, 2017 । सभी माडल 1 अक्तूबर, 2018 ।

[फा.सं. आरटी-11028/02/2015-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1365(अ) तारीख 13 दिसंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सं. का.आ. 1013(अ) तारीख 15 अप्रैल, 2015 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2015

S.O. 1139(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 and clause (k) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with sub-rule (1) of rule 124 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1365(E) dated the 13th December, 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section(ii), dated the 13th December 2004, namely :—

(2) In the principal notification, in the Table for Sr. No.5 and Sr. No.6 and the entries thereto, the following entries shall be substituted, namely:—

Sl. No.	Parts/Components/ Assemblies	Standards	Date of commencement/ validity
(1)	(2)	(3)	(4)
"5.	(a) The steering impact requirement	IS 11939: 1996, as amended from time to time, for the vehicles specified therein.	13th December, 2004 and valid up to dates of implementation of 5(b).
	(b) Requirements for behavior of steering mechanism of a vehicle in a Head-on Collision	AIS-096/2008, as amended from time to time, for the vehicles specified therein.	New Models - 1st October, 2017. All Models - 1st October, 2019.
	(c) Protection of occupants in the event of an Offset Frontal Collision	AIS-098/2008, as amended from time to time, for the vehicles specified therein.	New Models - 1st October, 2017. All Models - 1st October, 2019
6.	(a) Side door impact for all passenger cars	IS 12009: 1995, as amended from time to time.	13th December, 2004 and valid up to dates of implementation of 6(b).
	(b) Approval of vehicles with regard to the Protection of Occupants in the event of a Lateral Collision	AIS- 099/2008, as amended from time to time, for the vehicles specified therein.	New Models - 1st October, 2017. All Models - 1st October, 2018.
	(c) Approval of Vehicles with regard to the Protection of Pedestrian and other Vulnerable Road Users in the event of a Collision with a Motor Vehicle	AIS-100/2010, as amended from time to time, for the vehicles specified therein.	New Models - 1st October, 2017. All Models - 1st October, 2018."

[No. RT-11028/02/2015-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India. Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1365 (E) dated the 13th December, 2004 and lastly amended *vide* notification number S.O. 1013 (E) dated the 15th April, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.